न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 904–तीन/2014 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2014 पारित द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 130 अ–70/2011–12

राधाकृष्ण मिश्रा पुत्र भैयालाल
ग्राम सोनवर्षा तहसील मनगवां
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती लीलादेवी पत्नि रमाकांत द्विवेदी
प्रोफेसर कालोनी तहसील हुजूर जिला रीवा
2– दिनेश कुमार द्विवेदी पुत्र रामानुग्रह
ग्राम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा
3– महेन्द्रकुमार शुक्ला पुत्र ताराप्रसाद
ग्राम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अनीश श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ऋषभकुमार)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 130 अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रीवा (व्यंकट बटालियन) की भूमि सर्वे कमांक 592 रकबा 5 एकड़ के राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा ने 5-8-10 एंव 6-8-10 से नक्शा तरमीम किया। इस आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 178 अ 74/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-12-12 से तहसीलदार हुजूर को निर्देश दिये कि राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई नक्शा तरमीम कार्यवाही निरस्त की जावे तथा पुनः मौके की जॉच कराकर कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 130 अ-70/2011-12 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का विवाद विचाराधीन होने से नक्शा तरमीम प्रकरण आदेश दिनांक 27-1-2014 से इस आधार पर निरस्त कर दिया कि स्वत्व का निराकरण होने के वाद नक्शा तरमीम कार्यवाही की जावेगी। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन उपरांत प्रकरण में यह विनिश्चय करना है कि क्या नक्शा तरमीम कार्यवाही अथवा नक्शा तरमीम कार्यवाही अमान्य करने वावत् तहसीलदार व्दारा दिये गये आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में सीधे निगरानी विचार योग्य है। नक्शा तरमीम को अंतिमता प्रदान करने वाला आदेश अथवा नक्शा तरमीम कार्यवाही अमान्य करने वाले अंतिम आदेश तहसीलदार व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित किये जाते है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंर्गत राजस्व अधिकारी व्दारा पारित अंतिम आदेश अपील योग्य है - निगरानी योग्य नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार करने का

औचित्य नहीं है। आवेदकगण चाहें , इस आदेश की प्रति सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर